कार्यालय केन्द्रीय नजारत,जनपद न्यायालय आजमगढ।
नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये जनपद न्यायालय आजमगढ की भूमि पर स्थित निम्नलिखित दुकानों, फोटोस्टेट एवं साइकिल स्टैण्ड की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 06.03.2018, 08.03.2018 एवं 13.03.2018 को अप0 12.00 बजे से जनपद न्यायालय आजमगढ के नवीन भवन के "हॉल ऑफ जस्टिस" में सम्पन्न किया जायेगा ।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि ,समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई डी) के साथ उपस्थित हों ।

नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण :–

कम सं0	दुकान/साइकिल स्टैण्ड का नाम	संख्या
01	होटल	01
02	बुक स्टॉल	01
03	स्टेशनरी	01
04	फोटोस्टेट	03
05	साइकिल स्टैण्ड	2
06	ठेला	06
07	पी0सी0ओ0	01
08	पान (धूमपान रहित)	10
09	काफी हाउस	01
10	चाय मीठा की दुकान	11
11	सैलून	01
12	साइकिल मरम्मत	01
13	कम्प्यूटर फोटो	01

नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है :–

1– यह ठेका दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिये वैध होगी ।

2– जिस ठेकेदार के यहॉ ठेके से सम्बन्धित धनराशि कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा । यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी ।

3– नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली (विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोडकर) की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप मे जमा करना होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा ।

4– जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी उसे ठेके की 40 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि के 20–20 प्रतिशत की तीन त्रैमासिक किश्तों (प्रथम किश्त जून,2018 तक, द्वितीय किश्त सितम्बर,2018 तक तथा तृतीय किश्त दिसम्बर,2018 तक) में जमा करना होगा । इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा और बकाया धनराशि भू राजस्व के रूप मे वसूल की जायेगी।

5– जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार,सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा । उपुर्यक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी ।

6– नीलामी में सबसे ऊँची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0– 24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली को निरस्त कर दें तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें ।

7– जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0– 31/एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तो केद अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात् रू0 100–00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा ।

8– ठेकेदार को अपने दुकान के आस–पास की सफाई स्वयं करनी होगी । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0– 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहॉ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण कर सकें ।

10– जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी उसी में दुकान करना होगा ।

11– उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वूसली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दें ।

दिनांक : 2 फरवरी, 2018

(संजय कुमार वर्मा)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 3
जनपद न्यायालय आजमगढ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित :–

1– नाजिर, कलेक्ट्रेट आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2– कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3–कार्यालय अधीक्षक पुलिस अधीक्षक आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4–कार्यालय अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5– स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु ।
6– जिला सूचना अधिकारी आजमगढ को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
7– जनपद न्यायालय आजमगढ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
8– जनपद न्यायालय आजमगढ की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु नोडल आफिसर कम्प्यूटर को ।
9–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ओ0एस0डी0 कम्प्यूटर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को ।

दिनांक :2 फरवरी, 2018

(संजय कुमार वर्मा)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 3
जनपद न्यायालय आजमगढ।